



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-07082021-228815
CG-DL-W-07082021-228815

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 7—अगस्त 13, 2021 (श्रावण 16, 1943)
No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 7—AUGUST 13, 2021 (SRAVANA 16, 1943)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली-110004, दिनांक 1 जुलाई 2021

सं. ए. 39011/50/16— प्रशा.—अधिवर्षिता आयु पूर्ण होने पर, 30 जून, 2021 के अपराह्न से, डॉ. ई.एल.एस.एन. बाला प्रसाद, राष्ट्रपति के विशेष सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय, को सरकारी सेवा से मुक्त किया जाता है।

भारत भूषण, अवर सचिव (प्रशा.)

नई दिल्ली-110004, दिनांक 2 अगस्त 2021

सं. ए-39011/48/16— प्रशा.—अधिवर्षिता आयु पूर्ण होने पर, 31 जुलाई, 2021 के अपराह्न से, श्री अशोक कुमार, अवर सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय, को सरकारी सेवा से मुक्त किया जाता है।

एस. एम. समी, अवर सचिव (प्रशा.)

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 जून 2021

सं. आरएसएस/11/2020/आरएसटीवी (पीएफ) दो—अधिसूचना संख्या Rs.1/11/2016/89—RSTV दिनांक 9 अगस्त, 2017, Rs. 46/2/2019/67-Perl दिनांक 20 अगस्त, 2019, LAFEAS-PS56012/1/2020/85-Perl Sec-RSS (e-Office) दिनांक 07 अगस्त 2020,

आरएस/46/2/2020/114-PerI दिनांक 30 सितंबर, 2020, आरएस/46/2/2020/131-पर्ल दिनांक 29 अक्टूबर, 2020, संख्या आरएस/46/2/2020/162-पर्ल राज्य सभा सचिवालय की दिनांक 28 दिसंबर 2020 और राज्य सभा टेलीविजन की अधिसूचना संख्या आरएसएस/11/2020/ आरएसटीवी (पीएफ) दिनांक 5 अप्रैल 2021 की निरंतरता में श्रीमती सुस्मिता बसु के नियोजन की अवधि को राज्य सभा टेलीविजन में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) के रूप में पुनर्नियोजन के आधार पर 01.07.2021 से 30.09.2021 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया गया है।

एस. सी. दीक्षित, निदेशक (संसद टीवी)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 अप्रैल 2021

सं. आरएस/ २०/१/२०२१/३२-कार्मिक—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्रीमती नीरा अग्रवाल, अपर निदेशक (पी एस एस एस) ३१ मार्च २०२१, के अपराहन से सेवा निवृत्त हो गये हैं।

के. सुधाकरन, निदेशक

सं. आरएस/ २०/१/२०२१/३३-कार्मिक—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री सुभाष चन्दर, निदेशक (ई एंड टी), ३१ मार्च २०२१, के अपराहन से सेवा निवृत्त हो गये हैं।

के. सुधाकरन, निदेशक

सं. आरएस/ २०/१/२०२१/३४-कार्मिक—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री सतिंदर कुमार, संयुक्त निदेशक (ई एंड टी) ३१ मार्च २०२१, के अपराहन से सेवा निवृत्त हो गये हैं।

के. सुधाकरन, निदेशक

सं. आरएस/ २०/१/२०२१/३५-कार्मिक—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्रीमती कमलेश मिधा, अवर सचिव, ३१ मार्च २०२१, के अपराहन से सेवा निवृत्त हो गयी हैं।

के. सुधाकरन, निदेशक

सं. आरएस/ २०/१/२०२१/३६-कार्मिक—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री सतीश कुमार गुलेरिआ, अधिशाषी अधिकारी (इन-सीटू) ३१ मार्च २०२१, के अपराहन से सेवा निवृत्त हो गयी हैं।

के. सुधाकरन, निदेशक

दिनांक 12 अप्रैल 2021

सं. आरएस 3/4(1)/2021/37- कार्मिक—श्री अनिल चोपड़ा, जिन्हें पहले दिनांक 6 अगस्त, 2018 की अधिसूचना सं. आरएस. 3/4/1/2018/91-कार्मिक द्वारा स्व-स्थाने आधार पर राज्य सभा सचिवालय में अपर निदेशक (पीएसएसएस) के ग्रेड में नियुक्त किया गया था, को 07 अप्रैल, 2021 के पूर्वाहन से उक्त ग्रेड में एक नियमित रिक्ति के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

के. सुधाकरन, निदेशक

सं. आरएस 3/4(1)/2021/38-कार्मिक —राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत वरिष्ठ निजी सचिव श्रीमती पूनम भाटिया को 07 अप्रैल, 2021 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 में तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ संयुक्त निदेशक (पीएसएसएस) के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया है।

के. सुधाकरन, निदेशक

सं. आरएस 3/4(1)/2021/39- कार्मिक—श्रीमती अंजना वर्मा, जिन्हें पहले दिनांक 10 जुलाई, 2018 की अधिसूचना सं. आरएस. 3/4/1/2018/74-कार्मिक द्वारा स्व-स्थाने आधार पर राज्य सभा सचिवालय में वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्त किया गया था, को 07 अप्रैल, 2021 के पूर्वाहन से उक्त ग्रेड में एक नियमित रिक्ति के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

के. सुधाकरन, निदेशक

सं. आरएस 3/7/2021/40-कार्मिक—माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत श्री दिनेश कुमार दास, अपर निदेशक (संपादन और अनुवाद) को 07 अप्रैल, 2021 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक वेतन मैट्रिक्स के लेवल-13 में तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ नियमित आधार पर निदेशक (संपादन और अनुवाद) के ग्रेड में नियुक्त किया है।

के. सुधाकरन, निदेशक

सं. आरएस 3/7/2021/41-कार्मिक—निम्नलिखित अधिकारियों, जिन्हें पूर्व में अधिसूचना संख्या आरएस 3/7/2019/11-कार्मिक, दिनांक 11 फरवरी, 2019 के द्वारा राज्य सभा सचिवालय में दिनांक 16.01.2019 से स्व-स्थाने आधार पर संयुक्त निदेशक (संपादन और अनुवाद) के ग्रेड में नियुक्त किया गया था, को 07 अप्रैल, 2021 के पूर्वाह्न से उक्त ग्रेड में नियमित रिक्ति पर समायोजित किया जाता है:

- (1) श्री जयशंकर पांडेय
- (2) श्री राजेश कुमार भारद्वाज

के. सुधाकरन, निदेशक

दिनांक 22 अप्रैल 2021

सं. आरएस.3/1/1/2021/44-कार्मिक—श्री राजेश हरित, जिन्हें पहले दिनांक 09 सितंबर, 2020 की अधिसूचना सं आरएस.3/1/1/2020/109-कार्मिक द्वारा राज्य सभा सचिवालय में अवर सचिव के ग्रेड में 07 सितंबर, 2020 के पूर्वाह्न से प्रतिनियुक्ति रिक्ति पर नियमित आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अब 19 अप्रैल, 2021 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक नियमित रिक्ति पर उक्त ग्रेड में समायोजित किया गया है।

के. सुधाकरन, निदेशक

सं. आरएस.3/1/1/2021/45-कार्मिक—श्री अजिन जे.आर., जिन्हें पहले दिनांक 10 जुलाई, 2018 की अधिसूचना सं आरएस.3/1/1/2018/69-कार्मिक द्वारा राज्य सभा सचिवालय में अवर सचिव के ग्रेड में दिनांक 16 जून, 2018 के पूर्वाह्न से स्वस्थाने आधार पर नियुक्त किया गया था, को अब 19 अप्रैल, 2021 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक प्रतिनियुक्ति रिक्ति पर उक्त ग्रेड में कार्य करने के लिए नियमित आधार पर समायोजित किया गया है।

के. सुधाकरन, निदेशक

दिनांक 23 अप्रैल 2021

सं. एलएफईएस-पीएस16013/2/2021/46-कार्मिक अनुभाग-आर.एस.एस.—अधिसूचना सं. एलएफईएस-पीएस 16013/2/2021/28-कार्मिक अनुभाग आर.एस.एस., दिनांक 09 मार्च, 2021 में आंशिक संशोधन करते हुए विपक्ष के नेता, राज्य सभा (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) के वैयक्तिक स्टाफ श्री नरेश कुमार, निजी सचिव की नियुक्ति की तारीख को संशोधित कर 16 फरवरी, 2021 के पूर्वाह्न से कर दिया गया है।

के. सुधाकरन, निदेशक

सं. एलएफईएस-पीएस16013/2/2021/47-कार्मिक अनुभाग आर.एस.एस.—अधिसूचना सं. एलएफईएस-पीएस 16013/2/2021/27-कार्मिक अनुभाग आर.एस.एस., दिनांक 09 मार्च, 2021 में आंशिक संशोधन करते हुए विपक्ष के नेता, राज्य सभा (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) के वैयक्तिक स्टाफ के निम्नलिखित स्टाफ की नियुक्ति की तारीख को संशोधित कर 16 फरवरी, 2021 के पूर्वाह्न से कर दिया गया है:

क्र.सं.	नाम	पद
1.	श्री राजीव कुमार	वरिष्ठ निजी सचिव
2.	श्री शिवन्ना	वरिष्ठ निजी सचिव

के. सुधाकरन, निदेशक

दिनांक 6 जुलाई 2021

सं. एलएफइएस-पीएस16014/2/2021/74-कार्मिक अनु-आरएसएस—श्री पीयूष गिरगांनकर को शिक्षा, महिला, बाल, युवा कार्यक्रम और खेल संबंधी समिति के अध्यक्ष (डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे) के वैयक्तिक स्टाफ में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 में 01 जुलाई, 2021 के पूर्वाह्न से सह-पदावसान के आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

2. श्री पीयूष गिरगांनकर की नियुक्ति शिक्षा, महिला, बाल, युवा कार्यक्रम और खेल संबंधी समिति के वर्तमान अध्यक्ष (डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे) के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के समापन के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

के. सुधाकरन, निदेशक

सं. एलएफइएस-पीएस130/11/(12)/1/2021/75-कार्मिक अनु-आरएसएस—श्री मोहित मिश्रा, जिन्हें पूर्व में दिनांक 17 अगस्त, 2016 की अधिसूचना सं. आरएस.3/1/1/2016/55-कार्मिक के द्वारा राज्य सभा सचिवालय में दिनांक 31.07.2016 से विधायी/समिति/न्यायाचार/अधिकांसी अधिकारी के ग्रेड में स्व-स्थाने आधार पर नियुक्त किया गया था, को 03 जुलाई, 2021 के पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित रिक्ति पर स्थानापन्न आधार पर समायोजित किया जाता है।

2. उपरोक्त समायोजन इस संबंध में कार्मिक में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 15 जून, 2018 के कार्यालय ज्ञापन के निदेशों के अनुसार भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भविष्य में दिए जाने वाले आदेशों के शर्तों के अधीन है।

के. सुधाकरन, निदेशक

सं. एलएफइएस-पीएस13011/(11)/1/2021/76-कार्मिक अनु-आरएसएस—माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत श्री प्रेम सिंह, अपर निदेशक को 3 जुलाई, 2021 के पूर्वाह्न से तथा आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में निदेशक के ग्रेड में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-13 में तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों सहित प्रतिनियुक्ति रिक्ति पर नियमित आधार पर नियुक्त किया है।

के. सुधाकरन, निदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 अप्रैल 2021

सं. आरएस/42/1/2021/42-कार्मिक—श्री जगमोहन सुंदरियाल, संयुक्त सचिव को 15 अप्रैल, 2021 के पूर्वाह्न से इस सचिवालय में उनके कर्तव्यों से कार्य मुक्त किया जाता है और उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति तथा सह-पदावसान के आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-15 में 31.01.2022 तक अर्थात् उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक तथा अगले आदेशों तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के वैयक्तिक स्टाफ में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में उत्तराखंड सरकार के सुपुर्द कर दी गई हैं।

अमित कुमार, उप सचिव

दिनांक 15 जुलाई 2021

सं. आरएस. 11/1/19/77-कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय में वरिष्ठ वृत्तलेखक श्री अरविन्द कुमार मिश्रा को राज्य सभा सचिवालय में 15 जुलाई, 2021 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में संसदीय वृत्तलेखक के रूप में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया है।

अमित कुमार, उप सचिव

दिनांक 26 जुलाई 2021

सं. आरएस/18/15/2014/78-कार्मिक —दिनांक 23 अगस्त, 2019 की अधिसूचना सं. आरएस/18/15/2014/71-कार्मिक का अधिक्रमण करते हुए और महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतिक्रिया) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुसार, महासचिव, राज्यसभा 'आंतरिक शिकायत समिति' का दिनांक 07.08.2021 से पुनर्गठन करते हैं, जिसके सदस्य निम्नानुसार होंगे-

- | | | |
|---|---|-----------------|
| (1) डा. शिखा दरबारी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार | - | पीठासीन अधिकारी |
| (2) श्रीमती कुसुम सुधीर, निदेशक(आई) | - | सदस्य |
| (3) श्री प्रेम सिंह, निदेशक | - | सदस्य सचिव |
| (4) डा. (सुश्री) उमा टुली, संस्थापक सदस्य और प्रबंध सचिव, अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली | - | सदस्य |

2. समिति के कार्यकाल की अवधि तीन वर्षों के लिए अर्थात् 06.08.2024 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगी।
3. समिति राज्य सभा सचिवालय में महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने और लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों के प्रतिरोध और तत्संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उत्तरदायी होगी।
4. समिति महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतिरोध) अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगी और उक्त अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गए अथवा राज्य सभा सचिवालय द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करेगी।

अमित कुमार, उप सचिव

दिनांक 3 अगस्त 2021

सं. एलएफइएस-पीएस13/1/2021/79-कार्मिक—उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री (श्री तीरथ सिंह रावत) के वैयक्तिक स्टाफ में विशेष कार्य अधिकारी के पद से कार्यमुक्त होने पर, श्री जगमोहन सुंदरियाल, संयुक्त सचिव ने 16 जुलाई, 2021 के पूर्वानुमान से इस सचिवालय में पुनः कार्यग्रहण कर लिया है।

अमित कुमार, उप सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 अगस्त 2021

सं. आर.एस. 6/2/2021/06-सतर्कता—राज्य सभा के महासचिव ने दिल्ली उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में राज्य सभा सचिवालय के नाम-निर्देशित काउन्सेल के रूप में अधिवक्ता श्रीमती तातिनी बासु के कार्यकाल को, उनके द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत मौजूदा निबंधनों और शर्तों पर, 30 सितम्बर, 2021 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।

रश्मि गुप्ता, उप सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय
(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 10 जून 2021

सं. के-13012/01/2021-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री संजय यादव को अपने पद के प्रभार संभालने की तिथि से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, अपर सचिव

दिनांक 18 जून 2021

सं. के.-13018/01/2020-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री रोबीन फुक्न को अपने पद के प्रभार संभालने तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए गोहाटी उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, अपर सचिव

सं. के-13025/02/2020-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री (1) अनिल वर्मा, (2) अरुण कुमार शर्मा, (3) सत्येन्द्र कुमार सिंह, (iv) श्रीमती सुनीता यादव, (v) दीपक कुमार अग्रवाल, और (vi) राजेन्द्र कुमार (वर्मा) को उनकी इसी वरिष्ठता क्रम में अपने-अपने पद के प्रभार संभालने की तिथि से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, अपर सचिव

दिनांक 22 जून 2021

सं. के.-11019/04/2021-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भण्डारी को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजय यादव की सेवानिवृत्त के पश्चात्, 26 जून, 2021 से उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, अपर सचिव

दिनांक 23 जून 2021

सं. के.-13024/03/2019-यू.एस-I—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अब्दुल रहीम मुसलियार बदरुद्दीन को अपने पद के प्रभार संभालने तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए केरल उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, अपर सचिव

सं. के.-13014/05/2020-यू.एस-I—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री (1) राजेश नारायणदास लढ्ढा (2) संजय गणपतराव मेहरे, (3) गोविंदा आनंदा सानप, और (4) शिवकुमार गणपतराव डिगे को उनकी इसी वरिष्ठता क्रम में अपने-अपने पद के प्रभार संभालने तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए बम्बई उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, अपर सचिव

दिनांक 25 जून 2021

सं. के.-13020/02/2019-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री सत्येन वैद्य को अपने पद के प्रभार संभालने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, अपर सचिव

दिनांक 28 जून 2021

संख्या के-11019/04/2021-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति रवि विजयकुमार मल्लिमठ को, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायणा स्वामी की सेवानिवृत्त के पश्चात्, 01 जुलाई, 2021 से उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, अपर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 2021

सं. आई-18012/09/2021-आईपीएस-1—भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति झारखण्ड संवर्ग को आवंटित भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को, प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं:—

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व श्री/सुश्री)	भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी किए जाने की तिथि
1	राज कुमार लकड़र (च.सूची-2011)	26.02.2014
2	राजीव रंजन सिंह (च.सूची-2011)	26.02.2014
3	शैलेन्द्र कुमार सिन्हा (च.सूची-2011)	26.02.2014

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व श्री/सुश्री)	भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी किए जाने की तिथि
4	सुदर्शन प्रसाद मण्डल (च.सूची-2011)	26.02.2014
5	दीपक कुमार सिन्हा (च.सूची-2013)	26.05.2016
6	शम्स तबरेज (च.सूची-2013)	26.05.2016
7	संजय रंजन सिंह (च.सूची-2013)	26.05.2016
8	संजीव कुमार (च.सूची-2013)	26.05.2016
9	श्रीमती संध्या रानी मेहता (च.सूची-2014)	01.03.2017
10	धनन्जय कुमार सिंह (च.सूची-2014)	01.03.2017
11	अश्विनी कुमार सिन्हा (च.सूची-2014)	01.03.2017
12	शैलेन्द्र प्रसाद वर्णवाल (च.सूची-2014)	01.03.2017

ए. के. सरन, निदेशक (पुलिस)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2021

सं. 14013/01/2018-अ.भा.से.-III—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्य संवर्ग में धारित भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य श्री श्रीकांत शास्त्री को भारतीय प्रशासनिक सेवा में दिनांक 02.03.2020 से स्थायी करते हैं।

देवेन्द्र कुमार, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय
[उप प्रोटोकॉल प्रमुख (एफ) का कार्यालय]

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2021

सं. डी III /460/सी एफ-02/2021—भारत के राष्ट्रपति चेन्नई में श्रीलंका के उप उच्चायुक्त के रूप में डॉ. दोरैसामी वेंकटेश्वरन की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

डॉ. दोरैसामी वेंकटेश्वरन के कोंसली क्षेत्राधिकार में तमिलनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना राज्य तथा पुदुच्चेरी केन्द्र शासित प्रदेश होंगे, जिसका केंद्र चेन्नई होगा।

अविनाश कुमार सिंह, उप प्रोटोकॉल प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त 2021

सं. 39(फा.सं. ए-38014/10/2021-प्रशा.1)—राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के पद पर तैनात केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद, अधिवर्षिता की आयु होने पर दिनांक 31.07.2021(अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव

सं. 40(फा.सं. ए-38014/08/2021-प्रशा.1)—राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के पद पर तैनात केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री राम परसाद, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.07.2021(अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 25 जुलाई 2021

सं. ए. 12025/184/2016-सीएचएस-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. श्रीधर के. को दिनांक 02 नवम्बर, 2016 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी.-3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. श्रीधर के. को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नागपुर के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

के. वेंकटेशन, अवर सचिव

दिनांक 27 जुलाई 2021

सं. ए. 12025/43/2018-सीएचएस-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. नरेंद्र वर्मा एस. को दिनांक 13 अगस्त, 2018 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी.-3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. नरेंद्र वर्मा एस. को सी.एच. ई. बी. दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

के. वेंकटेशन, अवर सचिव

सं. ए. 12025/83/2020-सीएचएस-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. अरद्रा कुरियन को दिनांक 29 सितम्बर, 2020 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी.-3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. अरद्रा कुरियन को श्रम मंत्रालय (श्रमिक कल्याण संगठन, बालासोर) के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेगी।

के. वेंकटेशन, अवर सचिव

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई 2021

सं. ए-12026/1/2021-ईए—कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी), के अनुमोदन से सी.ए.सी.पी. के अध्यक्ष के पद का कार्योत्तर अतिरिक्त प्रभार डॉ. नवीन प्रकाश सिंह, सदस्य (सरकारी), सी.ए.सी.पी. को दिनांक 01.06.2021 से आगे तीन महीने की अवधि के लिए सौंपे जाने के लिए, या नियमित पद पर नियुक्ति तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, एतद्वारा सूचित किया जाता है।

आलोक निगम, संयुक्त निदेशक (ईए)

दिनांक 28 जुलाई 2021

सं. ए-19012/13/2021-ईए—आर्थिक मामले विभाग के फाइल संख्या 13016/1/2020-आईईएस (खंड) के तहत 13 जुलाई, 2021 के आदेश संख्या पी-4/2021 के अनुसरण में श्री लाल संगलुर को पे मैट्रिक्स के लेवल-15 (रुपए 1,82,200-2,24,100) में सेवा के उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड पर पदोन्नत किया जाता है और दिनांक 20.07.2021 के पूर्वाह्न से अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस) में, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में वरिष्ठ आर्थिक एवं सांख्यिकी सलाहकार के रूप में तैनात किया जाता है।

आलोक निगम, संयुक्त निदेशक (ईए)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई 2021

सं. 23-01/2017-एम आई डी एच, टैक-1 (ई-38221)—राष्ट्रपति, इस विभाग की विभागीय पुष्टिकरण समिति (डी.सी.सी) (समूह 'ख') की सिफारिश पर, श्री पी.ए. परमेश्वरन, काजू और कोको विकास निदेशालय, कोच्चि, केरल में आशुलिपिक, को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काजू और कोको विकास निदेशालय, कोच्चि, केरल में प्रशासनिक अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय) के पद पर 9300-34800/- रु. (पीबी-2) ग्रेड वेतन 4600/- रु. (पूर्व-संशोधित)/वेतन मैट्रिक्स स्तर-7, 44,900-1,42,400/- रु. (संशोधित) के वेतनमान में 12 जुलाई, 2021 की पूर्वाह्न से समावेशन के आधार पर नियुक्त करते हैं।

दिनेश, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2021

सं. 32011/01/2019-ई.॥—विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर, राष्ट्रपति श्री जितेंद्र कुमार, सहायक निदेशक (फसल) को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में सहायक आयुक्त (फसल) (सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ए' राजपत्रित, गैर-मंत्रालयी) के पद पर नियमित आधार पर वेतन स्तर-11 में नियमित पदोन्नति के आधार पर वेतन मैट्रिक्स (रु. 67700-208700/-) 30.07.2021 (ए/एन) या अगले आदेश तक को नियुक्त करते हैं।

यू.के.साह, अवर सचिव

सं. A-38012/5/2021-E.॥—कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में सहायक आयुक्त (फसल) श्री अशोक कुमार सिंह दिनांक 31.07.2021 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से सेवामुक्त हो जाएंगे।

यू.के.साह, अवर सचिव

दिनांक 31 जुलाई 2021

सं. ए-38012/6/2021-ई.॥—श्री राकेश कुमार कामरा, कृषि और किसान कल्याण विभाग में अतिरिक्त महानिदेशक (आईएसएस) सरकारी सेवा से दिनांक 31.07.2021 (अपराहन) को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से सेवामुक्त हो जाएंगे।

यू.के.साह, अवर सचिव

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2021

सं. 12023/4/2019 प्रशा.॥—राष्ट्रपति जी डॉ. शैलेन्द्र कुमार द्विवेदी, मात्स्यिकी वैज्ञानिक, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण की नियुक्ति 25 फरवरी, 2021 (पूर्वाह्न) से मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 (67700-208700/- रुपये) के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहायक आयुक्त (मात्स्यिकी) के पद पर तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेश के होने तक, जो भी पहले हो, के लिए करते हैं। उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17-06-2010 के का.जा. सं. 6/8/2009-स्था.(वेतन-11) के अनुसार नियमित की जाएगी।

खाम खान सुआन, अवर सचिव

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2021

सं. ईआरबी-1/2021/232—रेलवे बोर्ड कंप्यूटर संवर्ग के निम्नलिखित वरिष्ठ प्रोग्रामरों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक के ग्रेड में तदर्थ आधार पर वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 में पदोन्नत किया गया है:—

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम (सर्वश्री/सुश्री)	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	एन.के. सक्सेना	18.06.2021 (पूर्वाह्न)
2.	एन. हरिहरन	
3.	योगेश कात्याल	

आर.एन.सिंह, सचिव

दिनांक 22 जुलाई 2021

सं. ई(ओ)॥-2021/आरएन/26—श्री राज कुमार मल्होत्रा, भारतीय रेल कार्मिक सेवा के अधिकारी (जन्म तिथि: 23.03.1962, डीआईटीएस: 09.07.2007, लिएन: उत्तर रेलवे) का रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) में तत्काल समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने 05.07.2021 (अपराहन) से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

आर. एन. सिंह, सचिव

दिनांक 23 जुलाई 2021

सं. ईआरबी-1/2020/3/2—रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (आरबीएसएस) के निम्नलिखित सहायक अनुभाग अधिकारियों (एसओ) को पे मैट्रिक्स लेवल-8 [रु. 9,300 - रु.34,800 के पे बैंड-2 + ग्रेड पे रु. 4,800/- (संशोधन पूर्व)] में रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (आरबीएसएस) के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया है:-

क्र.सं.	नाम (सर्व/श्री/सुश्री)	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	बम शंकर मंडल	16-04-2021 (पूर्वाह्न)
2.	कविता	01-07-2021 (पूर्वाह्न)
3.	देवेन्द्र कुमार मीणा	01-07-2021 (पूर्वाह्न)

आर. एन. सिंह, सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 2021

शुद्धिपत्र

सं. 90/ई(जीआर)/9/1/पार्ट—रेलवे बोर्ड के दिनांक 19.11.1996 के पत्र सं. 90/ई(जीआर)/9/1 के तहत जारी भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी सेवा (आईआरएसएसई)-1989 की अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, क्रम संख्या 16 पर दर्शाए गए अधिकारी का नाम श्री के. वेंकटरमन रेड्डी के स्थान पर “श्री के. वेंकटरमन रेड्डी” पढ़ा जाए।

एस. श्रीधर राव, उप निदेशक, स्थापना (राज. भ.)

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi-110004, the 1st July 2021

No. A.39011/50/16-Admn.—On attaining the age of superannuation, Dr. E.L.S.N. Bala Prasad, Special Secretary to the President, President's Secretariat, stands retired from Government Service with effect from the afternoon of 30th June 2021.

BHARAT BHUSHAN, Under Secretary (Admn.)

New Delhi-110004, the 2nd August 2021

No. A-39011/48/16-Admn.—On attaining the age of superannuation, Shri Ashok Kumar, Under Secretary, President's Secretariat, stands retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st July, 2021.

S. M. SAMI, Under Secretary (Admn.)

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 30th June 2021

No. RSS/11/2020/RSTV(PF) Two—In continuation of Notification Nos.RS.1/11/2016/89-RSTV dated the 9th August, 2017, RS.46/2/2019/67-Perl. dated the 20th August, 2019, LAFEAS-PS56012/1/2020/85-Perl Sec-RSS(eOffice) dated 07th August 2020, RS/46/2/2020/114-Perl. dated 30th September, 2020, RS/46/2/2020/131-Perl. dated 29th October, 2020, No.RS/46/2/2020/162-Perl. dated 28th December 2020 of Rajya Sabha Secretariat and Notification No.RSS/11/2020/RSTV (PF) dated 5th April 2021 of Rajya Sabha Television the period of employment of Smt. Susmita Basu as Joint Director (Administration) in Rajya Sabha Television on re-employment basis has been extended further from 01.07.2021 to 30.9.2021 and until further orders, whichever is earlier.

S. C. DIXIT, Director (Sansad TV)

New Delhi-110001, the 1st April 2021

No. RS/20/1/2021/32-Perl.—On attaining the age of superannuation, Smt. Neera Aggarwal, Additional Director (PSSS) retired from service with effect from the afternoon of 31st March, 2021.

K. SUDHAKARAN, Director

No. RS/20/1/2021/33-Perl.—On attaining the age of superannuation, Shri Subhash Chander, Director (E&T) retired from service with effect from the afternoon of 31st March, 2021.

K. SUDHAKARAN, Director

No. RS/20/1/2021/34-Perl.—On attaining the age of superannuation, Shri Satinder Kumar, Joint Director (E&T) retired from service with effect from the afternoon of 31st March, 2021.

K. SUDHAKARAN, Director

No. RS/20/1/2021/35-Perl.—On attaining the age of superannuation, Smt. Kamlesh Midha, Under Secretary retired from service with effect from the afternoon of 31st March, 2021.

K. SUDHAKARAN, Director

No. RS/20/1/2021/36-Perl.—On attaining the age of superannuation, Shri Satish Kumar Guleria, Executive Officer (in-situ) retired from service with effect from the afternoon of 31st March, 2021.

K. SUDHAKARAN, Director

The 12th April 2021

No. RS.3/4(1)/2021/37-Perl.—Shri Anil Chopra, who was earlier appointed to the grade of Additional Director (PSSS) in the Rajya Sabha Secretariat on in-situ basis vide Notification No. RS.3/4(1)/2018/91-Perl. dated 06th August, 2018 stands adjusted against a regular vacancy in the said grade w.e.f. the forenoon of 07th April, 2021.

K. SUDHAKARAN, Director

No. RS 3/4(1)/2021/38-Perl.—Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Poonam Bhatia, Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat, to the grade of Joint Director (PSSS) in that Secretariat in Level 12 in the pay matrix plus usual allowances as admissible under the rules on regular basis with effect from the forenoon of 07th April, 2021 and until further orders.

K. SUDHAKARAN, Director

No. RS 3/4(1)/2021/39-Perl.—Smt. Anjana Verma, who was earlier appointed to the grade of Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat on in-situ basis vide Notification No. RS.3/4(1)/2018/74-Perl. dated 10th July, 2018 stands adjusted against a regular vacancy in the said grade w.e.f. the forenoon of 07th April, 2021.

K. SUDHAKARAN, Director

No. RS 3/7/2021/40-Perl.—Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Dinesh Kumar Das, Additional Director (E&T) in the Rajya Sabha Secretariat, to the grade of Director (E&T) in that Secretariat in Level 13 in the pay matrix plus usual allowances as admissible under the rules on regular basis with effect from the forenoon of 07th April, 2021 and until further orders.

K. SUDHAKARAN, Director

No. RS 3/7/2021/41-Perl.—The following officers, who were earlier appointed to the grade of Joint Director (E&T) in the Rajya Sabha Secretariat on in-situ basis w.e.f. 16.01.2019 vide Notification No. RS. 3/7/2019/11-Perl. dated 11th February, 2019 stand adjusted against regular vacancies in the said grade w.e.f. the forenoon of 07th April, 2021:

1. Shri Jay Shanker Pandey
2. Shri Rajesh Kumar Bhardwaj

K. SUDHAKARAN, Director

The 22nd April 2021

No. RS. 3/1/1/2021/44-Perl.—Shri Rajesh Harit, who was earlier appointed to the grade of Under Secretary in the Rajya Sabha Secretariat to officiate on regular basis against a deputation vacancy w.e.f. forenoon of 07th September, 2020 vide Notification No. RS. 3/1/1/2020/109- Perl. dated 09th September, 2020, stands adjusted against a regular vacancy in the said grade with effect from the forenoon of 19th April, 2021 and until further orders.

K. SUDHAKARAN, Director

No. RS. 3/1/1/2021/45-Perl.—Shri Ajin J.R., who was earlier appointed to the grade of Under Secretary in the Rajya Sabha Secretariat on in-situ basis w.e.f. forenoon of 16th June, 2018 vide Notification No. RS. 3/1/1/2018/69- Perl. dated 10th July, 2018, stands adjusted on regular basis with effect from the forenoon of 19th April, 2021 to officiate in the said grade against a deputation vacancy and until further orders.

K. SUDHAKARAN, Director

The 23rd April 2021

No. LAFEAS-PS16013/2/2021/46-Perl Sec-RSS.—In partial modification to Notification No. LAFEAS-PS16013/2/2021/28-Perl Sec-RSS dated 09th March, 2021, the date of appointment of Shri Naresh Kumar, Private Secretary in the personal staff of Leader of Opposition, Rajya Sabha (Shri Mallikarjun Kharge) has been amended to take effect from the forenoon of 16th February, 2021.

K. SUDHAKARAN, Director

No. LAFEAS-PS16013/2/2021/47-Perl Sec-RSS.—In partial modification to Notification No. LAFEAS-PS16013/2/2021/27-Perl Sec-RSS dated 09th March, 2021, the date of appointment of following officials in the personal staff of Leader of Opposition, Rajya Sabha (Shri Mallikarjun Kharge) have been amended to take effect from the forenoon of 16th February, 2021:

Sl. No.	Name	Post
1.	Shri Rajiva Kumar	Senior Private Secretary
2.	Shri Shivanna	Senior Private Secretary

K. SUDHAKARAN, Director

The 6th July 2021

No. LAFEAS-PS16014/2/2021/74-Perl Sec-RSS.—Shri Piyush Girgaonkar has been appointed as Senior Private Secretary in Level-11 in Pay Matrix in the personal staff of Chairman, Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports (Dr. Vinay P. Sahasrabuddhe) on co-terminus basis w.e.f. the forenoon of 01st July, 2021.

2. The appointment of Shri Piyush Girgaonkar is at the discretion of the present Chairman, Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports (Dr. Vinay P. Sahasrabuddhe) and will be co-terminus with the term of his office.

K. SUDHAKARAN, Director

No. LAFEAS-PS13011(12)/1/2021/ 75-Perl Sec-RSS—Shri Mohit Misra, who was earlier appointed to the grade of Legislative/ Committee/ Protocol/ Executive Officer in the Rajya Sabha Secretariat on in-situ basis w.e.f. 31.07.2016 vide Notification No. RS/3/1/1/2016/55-Perl dated 17th August, 2016, stands adjusted against a regular vacancy in the said grade on officiating basis with effect from the forenoon of 03rd July, 2021 and until further orders.

2. The above adjustment shall be subject to further orders which may be passed by Hon'ble Supreme Court of India as per the directions of DoPT OM dated 15th June, 2018 in this matter.

K. SUDHAKARAN, Director

No. LAFEAS-PS13011(11)/1/2021/76-Perl Sec-RSS—The Hon'ble Chairman has been pleased to appoint Shri Prem Singh, Additional Director in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Director in Level 13 in the Pay Matrix plus usual allowances as admissible under the rules on regular basis against a deputation vacancy with effect from the forenoon of 03rd July, 2021 and until further orders.

K. SUDHAKARAN, Director

New Delhi-110001, the 13th April 2021

No. RS/42/1/2021/42-Perl.—Shri Jagmohan Sundriyal, Joint Secretary, stands relieved of his duties in this Secretariat w.e.f. the forenoon of 15th April, 2021 and his services have been placed at the disposal of Uttarakhand Government for his appointment as Officer on Special Duty in the personal staff of Chief Minister of Uttarakhand in Level 15 of the pay matrix on deputation and co-terminus basis upto 31.01.2022, i.e. his date of superannuation and until further orders.

AMIT KUMAR, Deputy Secretary

The 15th July 2021

No. RS.11/1/19/77-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Arvind Kumar Mishra, Senior Reporter, Chhatisgarh Vidhan Sabha Secretariat as Parliamentary Reporter in Level-10 in the Pay Matrix in the Rajya Sabha Secretariat on deputation basis for a period of three years with effect from the forenoon of 15th July, 2021 and until further orders.

AMIT KUMAR, Deputy Secretary

The 26th July 2021

No. RS./18/15/2014/78-Perl.—In suppression of Notification No. RS/18/15/2014/71-Perl dated 23rd August, 2019 and in terms of Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, the Secretary-General, Rajya Sabha is pleased to reconstitute the 'Internal Complaints Committee' w.e.f. 07.08.2021, comprising of the following members:—

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Dr. Shikha Darbari, Joint Secretary | -Presiding Officer |
| 2. Smt. Kusum Sudhir, Director(SIS) | -Member |
| 3. Shri Prem Singh, Director | -Member-Secretary |
| 4. Dr. (Ms.) Uma Tuli, Founder & Managing Secretary, Amar Jyoti Charitable Trust, New Delhi. | -Member |

2. The tenure of the committee shall be for a period of three years i.e., up to 06.08.2024, or until further orders, whichever is earlier.

3. The Committee would be responsible for providing protection against sexual harassment of women in the Rajya Sabha Secretariat and redressal of complaints of sexual harassment and for matters connected therewith or incidental thereto.

4. The Committee will exercise the powers conferred in accordance with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, and perform the duties and responsibilities as assigned to it under the said Act or as assigned by the Rajya Sabha Secretariat from time to time.

AMIT KUMAR, Deputy Secretary

The 3rd August 2021

No. LAFEAS-PS13/1/2021/79-Perl.—On being relieved from the post of Officer on Special Duty in the personal staff of former Chief Minister of Uttarakhand (Shri Tirath Singh Rawat), Shri Jagmohan Sundriyal, Joint Secretary has resumed duties in this Secretariat w.e.f. the forenoon of 16th July, 2021.

AMIT KUMAR, Deputy Secretary

New Delhi, the 3rd August 2021

No. R.S. 6/2/2021/06-Vig.—The Secretary-General, Rajya Sabha has been pleased to extend the term of Smt. Tatini Basu, Advocate as the Nominated Counsel for the Rajya Sabha Secretariat in the High Court of Delhi and its Subordinate Courts, for a further period upto 30th September, 2021 on the existing terms and conditions duly accepted by her.

RASHMI GUPTA, Deputy Secretary

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110 011, the 10th June 2021

No. K.13012/01/2021-US.II—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Sanjay Yadav, Judge of the Allahabad High Court, to be the Chief Justice of the Allahabad High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Additional Secretary

The 18th June 2021

No. K.13018/01/2020-US.II—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint of Shri Robin Phukan, to be an Additional Judge of the Gauhati High Court, for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Additional Secretary

No. K-13025/02/2020-US.II—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint S/Shri (i) Anil Verma, (ii) Arun Kumar Sharma, (iii) Satyendra Kumar Singh, (iv) Smt. Sunita Yadav, (v) Deepak Kumar Agarwal, and (vi) Rajendra Kumar (Verma), to be Judges of the Madhya Pradesh High Court, in that order of seniority, with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Additional Secretary

The 22nd June 2021

No.K-11019/04/2021-US.II—In exercise of the powers conferred by Article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Munishwar Nath Bhandari, senior-most Judge of the Allahabad High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from 26th June, 2021 consequent upon the retirement of Shri Justice Sanjay Yadav, Chief Justice, Allahabad High Court.

RAJINDER KASHYAP, Additional Secretary

The 23rd June 2021

No. K.13024/03/2019-US.I—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Abdul Rahim Musaliar Badharudeen, to be an Additional Judge of the Kerala High Court, for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Additional Secretary

No. K.13014/05/2020-US.I—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint S/Shri (1) Rajesh Narayandas Laddha (2) Sanjay Ganpatrao Mehare (3) Govinda Ananda Sanap and (4) Shivkumar Ganpatrao Dige, to be Additional Judges of the Bombay High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Additional Secretary

The 25th June 2021

No. K-13020/02/2019-US.II—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Satyen Vaidya, to be an Additional Judge of the Himachal Pradesh High Court, for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Additional Secretary

The 28th June 2021

No. K-11019/04/2021-US.II—In exercise of the powers conferred by Article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Ravi Vijaykumar Malimath, senior-most Judge of the Himachal Pradesh High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from 1st July, 2021 consequent upon the retirement of Shri Justice Lingappa Narayana Swamy, Chief Justice, Himachal Pradesh High Court.

RAJINDER KASHYAP, Additional Secretary

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 28th July 2021

No. I-18012/09/2021-IPS-I—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Police Service allocated to the Jharkhand Cadre, with effect from the date mentioned against each officer:—

S. N.	NAMES OF THE OFFICERS (S/SHRI/Ms.)	DATE OF CONFIRMATION
1	Rajkumar Lakra (SL-2011)	26.02.2014
2	Rajeev Ranjan Singh (SL-2011)	26.02.2014
3	Shailendra Kumar Sinha (SL-2011)	26.02.2014
4	Sudarshan Prasad Mandal (SL-2011)	26.02.2014
5	Deepak Kumar Sinha (SL-2013)	26.05.2016
6	Shamsh Tabrez (SL-2013)	26.05.2016
7	Sanjay Ranjan Singh (SL-2013)	26.05.2016
8	Sanjeev Kumar (SL-2013)	26.05.2016
9	Smt. Sandhya Rani Mehta (SL-2014)	01.03.2017
10	Dhananjay Kumar Singh (SL-2014)	01.03.2017
11	Ashwini Kumar Sinha (SL-2014)	01.03.2017
12	Shailendra Prasad Barnwal (SL-2014)	01.03.2017

A.K. SARAN, Director (Police)

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 15th July 2021

No. 14013/01/2018 - AIS-III—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Shrikant Shastree, a member of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Bihar into Indian Administrative Service with effect from 02.03.2020.

DEVENDRA KUMAR, Under Secretary

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
[O/O DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)]

New Delhi, the 20th July 2021

No. DIII/460/CF-02/2021—The President of India is pleased to recognize the appointment of Dr. Doraisamy Venkateshwaran as the Deputy High Commissioner of Sri Lanka in Chennai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Dr. Doraisamy Venkateshwaran comprises the states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Telangana and Union Territory of Puducherry with the seat in Chennai.

AVINASH KUMAR SINGH, Deputy Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 2nd August 2021

No. 39 : (F.No.A.3 8014/10/2021-Ad.I)—Shri Rajender Prasad, an officer of the Central Secretariat Services posted as Section Officer in the Department of Revenue retired from Government Service on 31.07.2021 (AN) on attaining the age of superannuation.

RAJINDER KUMAR, Under Secretary

No. 40 : (F.No.A.3 8014/08/2021-Ad.I)—Shri Ram Parsad, an officer of the Central Secretariat Services posted as Section Officer in the Department of Revenue retired from Government Service on 31.07.2021 (AN) on attaining the age of superannuation.

RAJINDER KUMAR, Under Secretary

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110011, the 25th July 2021

No. A.12025/184/2016-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sridher K. to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 2nd November, 2016 until further orders. Dr. Sridher K. is posted as Medical Officer under CGHS Nagpur.

K. VENKATESAN, Under Secretary

The 27th July 2021

No. A.12025/43/2018-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Narendra Varma S. to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 13th August, 2018 until further orders. Dr. Narendra Varma S. is posted as Medical Officer under Central Health Education Bureau (CHEB), New Delhi.

K. VENKATESAN, Under Secretary

No. A.12025/83/2020-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ardra Kurian to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 29th September, 2020 until further orders. Dr. Ardra Kurian is posted as Medical Officer under Ministry of Labour (LWO Balasore). She will be on probation for a period of two years.

K. VENKATESAN, Under Secretary

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE)

New Delhi, the 26th July 2021

No. A-12026/1/2021-EA—The approval of Appointments Committee of the Cabinet is hereby conveyed for ex-post facto entrustment of additional charge of the post of Chairman, CACP to Dr. Naveen Prakash Singh, Member (Official), CACP for a period of 03 months w.e.f. 01.06.2021, or till the appointment of a regular incumbent to the post, or until further orders, whichever is the earliest.

ALOK NIGAM, Joint Director (EA)

The 28th July 2021

No. A-19012/13/2021-EA—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No.P-4/2021 dated 13th July, 2021 under File No.13016/1/2020-IES (pt), Shri Lal Sanglur has been promoted to Higher Administrative Grade in the service in Level 15 of the Pay Matrix (Rs.1,82,200 - 2,24,100) and posted as Senior Economic and Statistical Adviser in Directorate of Economics and Statistics(DES), Department of Agriculture and Farmers Welfare w.e.f. forenoon of 20.07.2021.

ALOK NIGAM, Joint Director (EA)

New Delhi-110001, the 26th July 2021

No. 23-01/2017-MIDH, Tech-I (E-38221)—On the recommendation of the Departmental Confirmation Committee (DCC) (Group 'B') of this Department, the President is pleased to appoint Sh. P.A. Parameswaran, Stenographer in the Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Kochi, Kerala to the post of Administrative Officer (General Central Service, Group 'B' Gazetted, Ministerial) in the scale of Rs.9,300-34,800/- (PB-2) Grade pay Rs. 4,600/- (pre-revised) / Level-7 in Pay Matrix, Rs. 44,900/—1,42,400/- (revised as per 7th CPC), in the Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Kochi, Kerala, under the Department of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare with effect from the forenoon of 12th July, 2021 on absorption basis.

DINESH, Under Secretary

New Delhi, the 28th July 2021

No. A-38012/6/2021-E.II—Shri Rakesh Kumar Kamra, Additional Director General (ISS) in the Department of Agriculture & Farmers Welfare will stand retired from Government service w.e.f. 31.07.2021 (AN) on attaining the age of superannuation.

U K SAH, Under Secretary

The 30th July 2021

No. 32011/01/2019-E.II—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Sh. Jitender Kumar, Assistant Director (Crops) on regular basis to the post of Assistant Commissioner (Crops) (General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial) in the Department of Agriculture and Farmers Welfare in Pay Level-11 of the Pay Matrix (Rs. 67700—208700/-) on regular promotion basis w.e.f. 30.07.2021 (A/N) or until further orders, whichever is earlier.

U K SAH, Under Secretary

No. A-38012/5/2021-E.II—Shri Ashok Kumar Singh, Assistant Commissioner (Crops) in the Department of Agriculture & Farmers Welfare will stand retired from Government service w.e.f. 31.07.2021 (AN) on attaining the age of superannuation.

U K SAH, Under Secretary

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING
(DEPARTMENT OF FISHERIES)

New Delhi, the 26th February 2021

No. 12023/4/2019 Admn I—The President is pleased to appoint Dr. Shailendra Kumar Dwivedi, Fisheries Scientist, Fishery Survey of India to the post of Assistant Commissioner (Fisheries) in Level-11 of Pay Matrix (Rs. 67700—208700) in Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying w.e.f. 25th February, 2021 (Forenoon) on deputation basis for a period of three years or till further orders, whichever is earlier. His deputation term will be governed as per DoPT's OM No. 6/8/2009-Estt (Pay-II) dated 17.06.2010.

KHAM KHAN SUAN, Under Secretary

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 13 July 2021

No. ERB-I/2021/2/32—The following Senior Programmers of Railway Board Computer Cadre, have been promoted to the grade of Senior System Analyst, in Level 11 of the Pay matrix, on adhoc basis with effect from the date indicated against their name:—

S.No.	Name of Officers, Shri:-	Date of Joining
1.	N.K. Saxena	18.06.2021(F.N.)
2.	N.Hariharan	
3.	Yogesh Katyal	

R. N. SINGH, Secretary

New Delhi, the 22nd July 2021

No. E(O)III-2021/RN/26—Consequent upon his immediate absorption in Rail Vikas Nigam Limited (RVNL), Shri Raj Kumar Malhotra, an officer of the Indian Railway Personnel Service (DOB: 23.03.1962; DITS: 09.07.2007; Lien: NR), has resigned from Railway service with effect from 05.07.2021(AN).

R. N. SINGH, Secretary

The 23rd July 2021

No. ERB-I/2020/3/2—Following Assistant Section Officers (ASOs) of Railway Board Secretariat Service(RBSS) have been promoted to Section Officers' Grade of Railway Board Secretariat Service (RBSS), in the Pay Matrix Level-8 [PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- (pre-revised)] on ad-hoc basis with effect from the date indicated against each:—

S.No.	Name (S/Shri/Ms.)	Date of Joining
1.	Bam Shanker Mandal	16-04-2021(F.N.)
2.	Kavita	01-07-2021(F.N.)
3.	Devendra Kumar Meena	01-07-2021(F.N.)

R. N. SINGH, Secretary

New Delhi, the 27nd July 2021

CORRIGENDUM

No. 90/E(GR)I/9/1/Pt.—In partial correction in the Notification of Indian Railway Service of Signal Engineers (IRSSE) – 1989 issued vide Railway Board letter No. 90/E(GR)I/9/1 dated 19.11.1996, name of the officer appearing at S.No. 16 may be read as “Shri K. Venkatramana Reddy instead of Shri K Venkataramana Reddy”.

S SRIDHAR RAO, Dy. Director, Estt. (GR)